उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

सख्या 13 / 28 / 90–का–1-1991

लखनऊ, 8 नवम्बर, 1991

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :––

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अस्थाई और स्थानापन्न नियुक्तियों के सम्बन्ध में उपबन्धों का विखण्डन) नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अस्थायी और स्थानापन्न नियुक्तियों के सम्बन्ध में उपबन्धों का विखण्डन) नियमावली, 1991 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

अधिभावी प्रभाव

2––यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली में या इस निमित्त जारी किए गए कार्यपालक आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं

3––जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,––

(क) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।

विखण्डन

4––इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके; राज्यपाल द्वारा लोक सेवाओं से सम्बन्धित नियमावलियों में दिए गए अस्थायी और स्थानापन्न हैसियत में नियुक्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध यदि कोई हो, एतद्द्वारा विखण्डित किए जाते हैं ।

आज्ञा से,

ओ० पी० आर्य,

सचिव ।